फार्म संख्या:. सप्र/02/पीएफसी/शैक्षणिक संस्थान

संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

प्रयास फाउंडेशन कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन करने एवं ‘प्रयास’ की अन्य गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रदत्त संयुक्त सहमति पत्र का प्रारूप

दिनांक --------------------माह --------------वर्ष------------------को हस्ताक्षरित, प्रयास फाउंडेशन कोर्स (समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम) के संचालन एवं प्रबंधन तथा ‘प्रयास’ की अन्य गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा प्राइवेट लिमिटेड एच -19 चतुर्थ चरण, राप्ती नगर गोरखपुर (उ.प्र) 273013 (इसके बाद इसे मात्र ‘प्रयास’ कहा गया है) तथा -------- ---पता ------------------------------ (इसके बाद इसे मात्र शैक्षणिक संस्थान लिखा गया है), के लिए सहमति पत्र

इस सहमति पत्र की शर्तें निम्न हैं ।

अ: शैक्षणिक संस्थान की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

‘शैक्षणिक संस्थान’ प्रयास फाउंडेशन कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन तथा ‘प्रयास’ की अन्य गतिविधियों में सहायता प्रदान करने से सम्बंधित निम्न शर्तों से पूर्णतया सहमत है और इनके अनुसार अपनी सभी जिम्मेदारियॉ पूरी ईमानदारी से निभायेगा।

1. शैक्षणिक संस्थान डिजिटल माध्यम (उपलब्ध लिंक) से या खाता स्थानांतरण द्वारा मात्र 500 (पांच सौ) रूपये की पंजीकरण राशि जमा करके स्वयं को‘ प्रयास ’के ‘गतिविधि भागीदार-शैक्षणिक संस्थान’ के रूप में पंजीकृत कराएगा।
2. शैक्षणिक संस्थान द्वारा इस कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन के लिए नामित शिक्षक इन्टरनेट कनेक्शन वाला एक स्मार्ट फ़ोन हमेशा अपने पास रखेगा ताकि उसे ‘प्रयास’ द्वारा सभी आवश्यक सूचनायें एवं प्रपत्र ईमेल या व्हात्सप या अन्य डिजिटल माध्यमो द्वारा त्वरित गति से प्रेषित किये जा सकें। इसी फ़ोन से वह यह कोर्स भी चलायेगा।
3. यह कोर्स मात्र आठवी तथा उसके ऊपर के छात्रों एवं 13 वर्ष के ऊपर से बच्चों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए संचालित किया जायेगा।
4. इस कोर्स के लिए बच्चों का एक बैच बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि उसमें शामिल प्रतिभागियों की आयु में एक वर्ष से अधिक का अन्तर न हो।
5. शैक्षणिक संस्थान अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए यह कोर्स वयस्कों के लिए भी चला सकता है। वयस्कों के मामले में 25 वर्ष से 60 वर्ष, 60 वर्ष के ऊपर और 75 वर्ष तक और 75 से अधिक आयु से व्यक्तियों के लिए अलग अलग समूह बनाए जायेगें।
6. इस पाठयक्रम की सामान्य अवधि मात्र 6 माह है बशर्ते सप्ताह में छः दिन 90 मिनट का इसका एक सत्र प्रति दिन चलाया जाय। यदि सप्ताह में इसको संचालित करने के दिन या सत्र की अवधि में प्रतिभागियों एवं इसकों संचालित करने वाले व्यक्ति या संस्था की सुविधानुसार परिवर्तन किया जाता है तो इसकी अवधि

तदानुसार परिवर्तित हो जायेगी। लेकिन इसके लिए 'प्रयास' की पूर्व अनुमति लिखित रूप से प्राप्त करना अनिवार्य है।

7. किसी एक बैच के एक बार आरम्भ हो जाने के बाद उस बैच में किसी नए प्रतिभागी का प्रवेश नही लिया जाएगा। नए प्रतिभागी का प्रवेश अगले बैच या किसी अन्य समानांतर बैच में ही हो सकता है।
8. एक बैच में प्रतिभागियों की संख्या 15 होगी। 75 वर्ष से अधिक के प्रतिभागियों के लिए अधिकतम संख्या मात्र 10 होगी।
9. शैक्षणिक संस्थान द्वारा इस कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन के लिए प्रति बैच तीन शिक्षक नामित किये जायेगें। इन्हें इस कोर्स के इसके संचालन और प्रबंधन तथा मार्गदर्शन के लिए 'प्रयास' द्वारा वेबिनार के माध्यम से निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
10. प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद उन्हें इस कोर्स के सन्दर्भ में व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में मान्यता दी जायेगी।
11. इस कोर्स के लिए प्रति कार्यदिवस को प्रति बैच 90 मिनट के अतिरिक्त समय की व्यवस्था शैक्षणिक सस्थान करेगा। किसी कारणवश छात्रों से संबंधित कोर्स के बिलम्बित होने पर आवश्यकतानुसार इसे कुछ दिनों के लिए प्रतिदिन दो घंटा या उससे से भी अधिक समय चलाने की व्यवस्था करेगा ताकि यह कोर्स छात्रों की वार्षिक परीक्षा के पहले ही समाप्त हो सके।
12. यदि किसी कारणवश नामित मार्गदर्शक कोर्स बंद कर देता है तो शैक्षणिक संस्थान पूर्व प्रशिक्षित (दो अतिरिक्त शिक्षकों में से एक) शिक्षक इसके संचालन के लिए उपलब्ध कराएगा और इस कोर्स की समाप्ति सुनिश्चित करेगा।
13. विचारमंथन हेतु एक बार में 10 प्रश्नोत्तर ईमेल से भेजे जायेगें और वह आवश्यकतानुसार प्रिंट करके विचारमंथन हेतु उनका उपयोग करेगा या डिजिटल फॉर्म में ही उनका इस्तेमाल करेगा और इनकी हार्ड कॉपी नहीं भेजी जायेगी। लेकिन यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि पांच प्रश्न बचे रहते ही वह अतिरिक्त प्रश्नों की मांग करे।
14. मार्गदर्शक प्रतिदिन प्रतेक प्रतिभागी को अपनी रूचि के विषय विन्दु पर एक पृष्ट लिखकर ऐप पर पोस्ट करने को कहेगा और प्रतिदिन सभी प्रतिभागियों से इसकी पुष्टि करके ही विचारमंथन प्रक्रिया आरम्भ करेगा।
15. मार्गदर्शक कोर्स के संचालन से तरीकों, पाठ्यक्रम और उपयोगिता के सम्बन्ध में प्रतिभागियों से लिखित प्रतिपुष्टि प्राप्त करके 'प्रयास' को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराएगा।
16. इसका प्रति प्रतिभागी शुल्क मात्र 5000 रूपये है जिसका 30% 'प्रयास' को देय होगा। इसके 50% की पहली क़िस्त कोर्स आरंभ करके ने पूर्व और बाकी 50% तीसरे माह की दस तारीख के पूर्व देय होगी। बाकी 70 % में से संस्था अपने शिक्षकों को मानदेय आदि देगा।
17. 'प्रयास' के अधिकृत अधिकारी किसी भी बैच के किसी भी विचारमंथन सत्र में डिजिटल माध्यम से यह देखने के लिए स्वतंत्र है कि मार्गदर्शक द्वारा इसे कैसे चलाया जा रहा है और इसमें शैक्षणिक सस्थान द्वारा कोई भी व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जाएगा। वें अपना सुझाव शैक्षणिक सस्थान तथा 'प्रयास' को दे सकतें हैं।

18. शैक्षणिक संस्थान 'प्रयास' को व्यक्तित्व विकास के सम्बंधित सभी गतिविधियों जिसमे व्यक्तित्व विकास में सहायक साहित्य या पुस्तकों की विक्री भी शामिल है, में परस्पर विचार-विमर्श से निर्धारित शर्तों के अनुसार सहयोग करेगा।
19. शैक्षणिक सस्थान समय समय पर जारी 'प्रयास' के निर्देशों का परिपालन करेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो 'प्रयास' यह सहमति पत्र निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ब: 'प्रयास' की जिम्मेदारियां एवं कर्तव्य

'प्रयास' स्वेच्छा से प्रयास फाउंडेशन कोर्स के संचालन एवं प्रबंधन से सम्बंधित निम्न शर्तों से सहमत है और इनके अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभायेगा। अपने हिस्से की आय उपरक्त तरीके से प्राप्त हो जाने के बाद निम्न जिम्मेदारियां निभाएगा।

1. शैक्षणिक संस्थान की पात्रता की जाच करने एवं पंजीकरण शुल्क प्राप्त होने के बाद उसका पंजीकरण करेगा और उसके किये एक विशिष्ट कूट संख्या आवंटित करेगा जिसका उपयोग वह सभी पत्रचार आदि में करेगा।
2. शैक्षणिक संस्थान द्वारा नामित शिक्षकों को विचारमंथन प्रक्रिया के संचालन, एवं प्रतिभागियों को दैनिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा जो निशुल्क होगा।
3. एक बार में 10 प्रश्नोत्तर विचारमंथन हेतु ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराएगा यह जिम्मेदारी शैक्षणिक सस्थान की होगी की 5 प्रश्नों पर विचारमंथन शेष रहते ही वह अतिरिक्त प्रश्नों की मांग 'प्रयास' से संबंधित क्षेत्र प्रबंधक से माध्यम से करे।
4. प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिपुष्टियों के आधार पाठयक्रम का समय समय पर अद्यतीकरण करेगा।
5. प्रतिभागी का कोर्स के आरम्भ एवं समाप्ति के पूर्व दो बार व्यक्तित्व परीक्षण करके उसका रेखाकन करके व्यक्तित्व विकास रपट बनाकर संस्थान को ईमेल करेगा।
6. 'प्रयास' यह सुनिश्चित करेगा कि विचारमंथन हेतु प्रश्नों की कमी न पड़े।
7. इस चक्र के पूरा होते ही इस कोर्स किसी एक बैच के सम्बन्ध में 'प्रयास' की जिम्मेदारी समाप्त हो जायेगी।

उपरलिखित शर्तों में परस्पर विचार विमर्श से परिवर्तन किया जा सकता है।

शैक्षणिक सस्थान **द्वारा अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर** --------------------------------------- **पिता का नाम** **(पता के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न)** ----------------------------------	**कृते प्रयास व्यक्तित्व विकास सेवा (प्रा) लि, गोरखपुर**

गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर **पूरा पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न)**	**गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर** **पता (सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न)**